भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

रण कमांक /2014
प्रस्तुति दिनांक 27–01–2014

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

(185)

R-376-PBP/14

माउन्टमेरी तर्फे सचिन
मोहन पिता कन्हैयालाल यादव
निवासी– इ.एच. 66, स्कीम नंबर 54, इन्दौर — — अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर जिला इन्दौर
2. तहसीलदार तहसील व जिला इन्दौर — — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अ–74/12–13 में दिनांक 06/07/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण के द्वारा सदर निगरानी निम्नलिखित कारणों से श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के द्वारा पत्र क्रमांक 418/अकरी/2012 दिनांक 05.11.2012 के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील इन्दौर को ग्राम माचला तहसील व जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 155, 156, 157, 244, 245, 246, 247, 248 की भूमि के संबंध में नामांतरण के संबंध में जॉच प्रतिवेदन एवं कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये।

2. उक्त निर्देश के आधार पर तहसीलदार इन्दौर के द्वारा मनमाने तौर पर मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रार्थी क्रं.1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 247/1/17 रकबा 1.214 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 248/20 रकबा 1.021 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 248/104/1 रकबा 0.890 हैक्टेयर, सर्वे नंबर 248/104/2 एवं 248/105 रकबा 1.943 हैक्टेयर भूमि, कुल रकबा 5.068 हैक्टेयर भूमि माउन्टमेरी तर्फे सचिन मोहन पिता कन्हैयालाल निवासी माचला जिला इन्दौर के नाम पर दर्ज रही है । भूमि के संबंध में असत्य प्रतिवेदन श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर की ओर प्रेषित किया जाकर अपीलाण्ट के द्वारा धारा 167 (7बी) का खुला उल्लंघन दर्शाते हुए उक्त भूमियों को शासन में वैष्ठित किये जाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 376-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री हेमन्त जोशी उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	